

मजदूर मोर्चा की खास पेशकश

देश में दलालों की मीडिया-सरकार जुगलबंदी

- भारतीय लोगों की दुनिया रिलायंस की मुट्ठी में कैद हो चुकी है...

देश की संसद में जो तमाशा चल रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है। बरना मीडिया की औकात नहीं है कि वह आपको सही जानकारी न दे। यानी अगर आप लोग खबरों वाले चैनल देखना, न्यूज वेबसाइट पर जाना और पूँजीपतियों के अखबार पढ़ना बंद कर दें तो मीडिया ने भारत सरकार से दलाली की जो जुगलबंदी कर रखी है, वह बेनकाब हो जाएगी।

विपक्षी पार्टीयां लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रही हैं और स्पीकर सुमित्रा महाजन तरह-तरह के बहाने लेकर प्रस्ताव का रखा जाना रोक रही हैं। क्योंकि प्रस्ताव पर बहस होनी है, सभी दलों को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार और भाजपा इससे भाग रहे हैं। यह पूरा हफ्ता निकल गया और इस निकम्मी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी।

पिछले हफ्ते यह प्रस्ताव लाया गया था, तब संसद में होल्ड का बहाना बनाया गया। लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक रोजाना भाजपा ने जयललिता की पार्टी एआईडीएमके और टीआरएस के साथ मिलकर संसद में हल्ला मचवा दिया। स्पीकर सुमित्रा महाजन को बहाना मिल गया। अविश्वास प्रस्ताव का रखा जाना रोक दिया गया...लोकसभा में जबरन मचाया जा रहा था शोर इस बात की गवाही दे रहा है कि वह प्रायोजित शोर है और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर भाजपा के ही कुछ संसदों ने सरकार का विरोध कर दिया तब क्या होगा। इस पसोपेश ने उसे रोक दिया है।

किसी भी मीडिया ने सरकार की इस हरकत पर चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जनता भी तो वही चाहती है। जनता की जागरूकता की कमी की वजह से देश में ऐसा मीडिया तंत्र खड़ा हो गया है जो अंततः जनता के मूल अधिकारों के खिलाफ ही जा रहा है। जबकि मीडिया

का पूरा मायाजाल सिर्फ आपके टीवी देखने, ऑनलाइन खबरों को देखने और पूँजीपतियों के अखबार पढ़ने के दम पर खड़ा किया गया है। अगर आप अपनी यह आदत छोड़ दें तो मीडिया की औकात सामने आ जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा करने वाले नहीं हैं और यह मीडिया आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा नियंत्रित करने वाला है। न आपको सही सूचनाएं मिलेंगी और न आप खबरों के पीछे चलने वाले खेल जान सकेंगे। कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया की मर्जी से आप न तो कुछ देख पाएंगे और न पढ़ पाएंगे।

रिलायंस का खेल देखो

अंबानी खानदान ने आज रिलायंस बिग टीवी का ऑफलॉन लॉन्च किया है। यह काफी उत्तेजक है। आपको रिलायंस सिर्फ 500 रुपये में पूरे साल डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के जरिए सारे चैनल दिखाएगा। शुरूआत में जो हजार या बारह सौ रुपये लिए जाएंगे वो भी आपको तीन साल बाद वापस मिल जाएंगे या एडजस्ट कर लिए जाएंगे। रिलायंस बिग टीवी छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी का है। बड़े अंबानी यानी मुकेश अंबानी भी इस क्षेत्र में कूदने की तैयारी कर रहा है या फिर भाई की कंपनी को ही खरीद लेगा।

आप इस खेल को समझ पा रहे हैं या नहीं ...

चलिए समझते हैं। सारे चैनल को लगभग मुफ्त में मुकेश और अनिल मिलकर दिखाएंगे। सारे न्यूज चैनलों में दोनों भाइयों में से किसी न किसी के शेयर हैं। मुकेश करीब सौ से ज्यादा चैनलों के सीधे मालिक हैं। अब अगर किसी न्यूज चैनल को मार्केट में खुद को बने रहना है या चाहता है कि उसे देखा जाए तो उसे अंबानी बंधु में से किसी एक की छतरी के नीचे आना होगा। ...आप जिन कुछ चैनलों को बहुत अच्छा मानते हैं या बहुत मानते हैं, उन तक में अंबानी बंधुओं के शेयर हैं। यह खबर पुरानी है, फिर भी याददाश्त में जिंदा रखने के लिए दोहरा देते हैं कि टीवी 18 ग्रुप को किस तरह मुकेश अंबानी ग्रुप ने खरीदा और रातोंरात 700

पत्रकारों की नौकरी चली गई। कई सारे चैनल मार्केट में जिंदा रहने के लिए रिलायंस से लोन तक ले लेते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप जो बिडला घराने का इतना बड़ा साम्राज्य है। जिसे उनकी बेटी शोभना भरतिया चलाती हैं। इस ग्रुप तक में रिलायंस की हिस्सेदारी हो चुकी है। टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप में भी रिलायंस ने घुसने की कोशिश की लेकिन चूंकि टाइम्स आफ इंडिया की कंपनी स्टाक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो रिलायंस उसके शेयर खरीद नहीं सकता और न ही वहां उसकी घुसपैठ हो सकती है। ऐसे अखबारों के लिए उसके पास विज्ञापन का बजट है।


इसका नतीजा यह निकलेगा कि टाटा स्कॉर्स, एयरटेल जैसे डीटीएच खत्म हो जाएंगे या फिर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। जी न्यूज वालों का डिश टीवी में इतनी औकात नहीं कि वह रिलायंस से टक्करा सके। रिलायंस से कोई भी टक्करा नहीं पाएगा, कम से कम मौजूदा सरकार के रहते हुए।

रिलायंस जियो इंटरनेट डेटा सस्ता करके आपको 24 घंटे व्यस्त रखने का इंतजाम पहले ही कर चुका है। आप घर में हों या रास्ते में हों...बस हरदम रिलायंस द्वारा नियंत्रित कर्टेंट के कब्जे में कब्जे में रहेंगे। जब शैतान किसी का यह हाल कर देता है तो जो वह चाहता है, आपको वही करना पड़ेगा। जो सूचना वह देगा, उसी पर आपको यकीन करना पड़ेगा। भारत में अब जो विदेशी कंपनी इस क्षेत्र में उत्तरेगी, वह भी बिना रिलायंस की मर्जी के कुछ नहीं कर सकेगी। भारतीय लोगों की दुनिया रिलायंस की मुट्ठी में कैद हो चुकी है।

क्या आपको यह सूचना मिली

क्या आप लोगों को पता है कि अबकी बार आप लोगों ने जो सरकार चुनी थी, उसने संसद में हाल ही में फाइनेंस बिल चुपचाप पास करा लिया। एक भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। जब देश तीन लोकसभा चुनाव नीतियों की बहस में उलझा हुआ था, तभी इस हरकत को अंजाम दिया गया।

जेएनयू मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज, लड़कियों के खींचे बाल फाड़े कपड़े



अनुल जौहरी : यौन उत्पीड़क प्रोफेसर को तुरन्त जमानत

आठ छात्राओं के बाल खींचकर कपड़े फाड़े फाड़े लिया हिरासत में, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को धेरकर रखा संजय पार्क में...

दिल्ली, जनन्ज्वार। देश की ख्यात यूनिवर्सिटी जेएनयू और विवाद का चोली—दामन का साथ हो गया है। शिक्षकों और छात्रों द्वारा निकाले गए शांतिमार्च पर दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया, बल्कि कई छात्रों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जो अंततः जनता के मूल अधिकारों के खिलाफ ही जा रहा है। जबकि मीडिया

प्रदर्शन में शामिल आठ महिलाओं को हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उनके साथ जमकर बदसलूकी की। उनके बाल खींचकर उन्हें घसीटा रखा और उनके कपड़े तक फाड़ डाले और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बंड़े पैमाने पर छात्र और शिक्षकों को पुलिस ने संजय पार्क में धेरकर रखा हुआ है। कम्युनिस्ट नेता बृंदा करत के साथ संसद मनोज झा भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए हैं।

जेएनयू में बिरयानी बनाने और खाने पर लगा 10 हजार का जुर्माना

जेएनयू छात्र संघ, जेएनयू शिक्षक संघ और जेएनयू पूर्व छात्रसंघ ने तमाम उत्पीड़नों के खिलाफ लांग मार्च आयोजित किया था। उसी के तहत ये लोग संजय पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

शांति मार्च में लगभग दो हजार से अधिक शिक्षक और छात्र शामिल हुए थे।

यह पैदल मार्च जेएनयू में गेट से होकर संसद भवन तक जाना था, मगर पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। संजय पार्क के पास तो जेएनयू शिक्षकों और छात्रों के शांतिपूर्ण मार्च को पुलिस ने बाटर कैनन से रोकने की कोशिश की और बाट में लाठीचार्ज शुरू कर दिया।

हिन्दी बागी ब्लॉग

चंदा लेने पर रोक लगाती है। उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को छह महीने के भीतर कांग्रेस और भाजपा दोनों के खातों की जांच करने के लिए विधायिक नियंत्रित राजनीतिक दलों के लिए विदेशी चंदा लेने को आसान बनाया था। लेकिन न तो चुनाव आयोग ने कुछ किया और न ही गृहमंत्रालय द्वारा कोई कदम उठाया गया।

जुलाई 2017 में एडीआर की याचिका पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं है।

ध्यान दीजिएगा 1976 से, यानी इससे बीते 42 वर्ष में राजनीतिक दलों को हुई तमाम विदेशी फंडिंग वैध ही गई है।

कानून की भाषा में इसे भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन कहा जाता है। इस तरह के संशोधन की अनुमति बहुत विषम परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। इस तरह के रेयर किस्म के प्रावधान को लागू क्यों करना पाते ?

2017 की शुरुआत में गैर-सरकारी

स